(29)

(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : महेश चन्द्र चौधरी,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3943 विरूद्ध आदेश दिनांक 06-10-2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा प्रकरण क्रमांक 127/अ-6/2016-17

----

1. नर्मदाप्रसाद पुत्र श्री जानकी प्रसाद कुर्मी
   निवासी - ग्राम पांती महतमान, तहसील
   हनुमना, जिला रीवा म.प्र.
2. शिवप्रसाद पुत्र श्री जानकी प्रसाद कुर्मी
   निवासी - ग्राम तेलिहा महतमान, तहसील
   हनुमना, जिला रीवा म.प्र. ....**आवेदकगण**

<u>विरूद्ध</u>

1. हनुमान पुत्र श्री गरूल कुर्मी
2. शिवकुमार पुत्र श्री मोरध्वज कुर्मी
   निवासी - ग्राम पांती महतमान, तहसील
   हनुमना, जिला रीवा म.प्र. ....**अनावेदकगण**

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री डी.एस. चौहान, अभिभाषक, अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 29.6.19 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा प्रकरण क्रमांक

127/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 06-10-2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण करवाये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 27.01.2017 को नामांतरण स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जिसमें उनके द्वारा दिनांक 06.10.2017 को प्रचलनशीलता का आवेदन अमान्य करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 16.04.2018 द्वारा निरस्त की गई। राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक एमपी 2813/2018 पेश की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.07.2018 को आदेश पारित करते हुए राजस्व मण्डल को गुण-दोषों पर आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी इस न्यायालय में पुन: प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा नामांतरण का आदेश पारित किया जा सकता है। विक्रय-पत्र की वैधता की जांच राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्ती योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 06.10.2017 में सिविल न्यायालय के प्रकरणों का उल्लेख किया है, लेकिन इन प्रकरणों में आवेदकगण के विक्रय-पत्रों को निरस्त नहीं किया गया है, जबकि सिविल न्यायालय द्वारा आवेदकगण को अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं करने का आदेश

दिया गया है, जिसका आवेदकगण के हित में हुए उक्त विक्रय-पत्र के आधार पर स्वामित्व के संबंध में कोई कानूनन प्रभाव नहीं पड़ता है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रचलनशीलता का आवेदन-पत्र उपरोक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए एवं कानूनी प्रक्रिया का सही रूप से पालन किए बिना गलत रूप से पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा आवेदकगण का प्रचलनशीलता का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है उनका आदेश उचित एवं सही है। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार हनुमना द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर विधिवत इश्तहार प्रकाशन कराया जाकर नामांतरण स्वीकार किया गया है। तथा तहसीलदार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नागत रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर आवेदक को नामांतरण कराने का अधिकार है व यह राजस्व न्यायालय रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण करने हेतु बाध्य है। चूंकि आवेदक का नामांतरण रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर किया गया है। ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र को प्रभावहीन व शून्य घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश उचित, वैधानिक एवं औचित्यपूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में गुण-दोषों पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रस्तुत निगरानी में जहां तक अनावेदकगण के द्वारा उठाए गए विक्रय-पत्र के अवैधानिक होने का प्रश्न है, उक्त संबंध में अनावेदकगण

सक्षम व्यवहार न्यायालय में विक्रय-पत्र को निरस्त कराने हेतु वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2017 निरस्त करते हुए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2017 स्थिर रखा जाता है।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर